

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1451 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2025
प्रति,

बालाघाट दिनांक 14/05/2025

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।
ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/ROAD/155629/2022 एवं WL/MP/ROAD/468651/2024

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1256 / 2023 / 10-11 / 4667,4668 भोपाल दिनांक 02.09.2024
2. वन मंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट का पत्र क्र. तकनीकी / 2324 बालाघाट दिनांक 02.04.2025

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर बैंक द्वारा जारी UTR No. की प्रति एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 13 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया बोदालखा से धीरी मुरुम मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

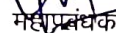
संलग्न :- उपरोक्तानुसार


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 14/05/2025

पृ. क्र. 1452 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2025
प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी उपवनमंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-I Balaghat

Name of Road - Bodalkha to Dhiri Murum

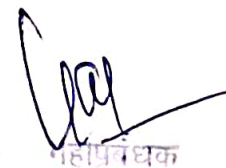
Proposal No. - FP/MP/Road/155629/2022

16.65 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	Cost of compensatory afforestation on the 33.30 ha (Out of 82.00 ha) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत 04 प्रकरण हेतु 40.59 हेक्टेयर की राशि रु. 58,39,399 एवं वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रुपये 3,84,35,097 /- ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155479/2022 में दिनांक 15.03.2024 को ऑनलाईन कंपा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्न)
2	The Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in favour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्र. रा.प.क्र./0033/अ-59/वर्ष 2022-23 ग्राम घुम्पुर, प.ह.नं. 63 द्वारा दिनांक 12.12.2022 को वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। (खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।)
3	The Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of PF/RF notification may be submitted with Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.65 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन में NPV की राशि रु. 2,04,56,024.00 एवं रोड साइड प्लांटेशन की राशि रु. 1,00,61,076.00 कुल राशि रु. 3,05,17,100.00 ऑनलाईन कंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न - चालान की प्रति)


म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन नं.आई क्रं. 1 बालाघाट

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाइन केंपा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the co-ordinated District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
7	In view of guideline dated 08/07/2024 at Para 12.5 the portion of 0.117 ha for which proposal has been submitted for necessary wildlife clearance, forest clearance will be accorded only after recommendation of NBWL. Further no working permission after Stage-I will be admissible in the proposal to avoid fait accompli situation.	वाईल्ड लाईफ की स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/468651/2024 अंतर्गत 16.65 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने बाबत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) भोपाल के पत्र क्र.434 भोपाल दिनांक 13.01.2025 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के तहत कॉरीडोर के विकास हेतु 2 प्रतिशत राशि रु. 26,22,000.00 म.प्र. टाईगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में जमा कर पालन प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्र. 1048 दिनांक 24.04.2025 को प्रेषित किया गया।
8	The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9 a)	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	शर्त के पालन में NPV की राशि रु. 2,04,56,024.00 एवं रोड साइड प्लांटेशन की राशि रु. 1,00,61,076.00 कुल राशि रु. 3,05,17,100.00 ऑनलाइन केंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न - चालान की प्रति)
9 b)	Cost of the same shall be transferred in CAMPA fund via online/e-portal.	ऑनलाइन केंपा मद में जमा की गई है।
10	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
11	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।



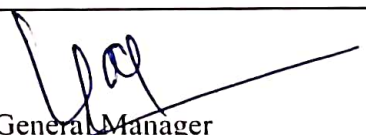
महोपायक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
२ प्रि.क्रियान्वयन पत्राई क्र. 1 बालाघाट

13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिसूचित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 33.30 ha Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 25/1 क /1, Village Gummur, Tehsil- Birsa, District- Balaghat at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non- native species shall be	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
4	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 277 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे-किनारे वृक्ष लगे हुए हैं। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है। रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


 महाप्रबंधक
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि.क्रियान्वयन फाई कं. 1 बालाघाट

9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-I Balaghat

Sl. No.	Proposal Detail	Application No (New)	Application No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Ru.)	Payment Status	Payment Detail
1	FP/MP/ROAD/155479/2022 Boregon slapper mandora Borban road construction under ROP/WEA scheme	ROAD1554792022 150	61155479150	14-Feb-24	CA: 5839399/-, Add CA: 38435097/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Add PA: 0/- NPV: 8956412/-, Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5320918/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 05-Mar-24 Transaction Date : 15-Mar-24


 महेश चक्र
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 अ.प्रति, डियानवयन ईकाई कं. 1, बाताघाट



मध्य प्रदेश का पट्टरीगत पू.अभिलेख
खसरा

प्रथम एक (पिच 6 के/डर)
मध्य प्रदेश पू.राजस्व महिला (पू.सर्वेक्षण तथा पू.अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. 11090887876

ग्राम: गुनपुर		पट्टवारी हस्ता. गुनपुर		तहसील: बिरसा		उपखंड: बरगड		वर्ग: 2023-2024			
पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)	पुनर् प्राप्ति के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/दस्तावेज की संख्या)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156988 8642	25/1/1 1/2 (S)		82.0000 हेक्टेयर	(मासकीय) का विमान मध्यप्रदेश शासन मासकीय संख्या	1						प्रकरण नं. 0661/अ-6(अ)/2021-22 अर्थात् 18/10/2021 के अनुसार पूर्व में संख्या नं. 25/1/1/11 से 25/1/1/11 में परिवर्तित। न्यायिक बर्तक के प्रकरण नं. 0033/अ-59/2022-23, अर्थात् दि. 12/11/2022 के अनुसार पुनर्निर्माण आदेश। सरकार बड़े भूद का जंका, राजस्व
7DQ68 2DDKB DAH0			0.00								

महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण
अभियंता, किरायापूर, काई कं. 1 बालाघाट



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.11 16:42:29 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Kharsa Copy
CLR No. : 11090887876

कार्यालय महाप्रबंधक
1. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट
फोननं. - 07632- 240334, E-mail - gm_bgpiul@rediffmail.com

अपन क्रमांक / लेखा. / 2025 952

बालाघाट दिनांक 11 / 03 / 2025

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा-बालाघाट (म.प्र.)

विषय - Ad-HOC CAMPA मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत Ad-HOC CAMPA के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु बैंक क्रमांक 162082 दिनांक 11.04.25 राशि रु. 8,75,86,407.00 (आठ करोड़ पष्ठहत्तर लाख छियासी हजार चार सौ सात मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त बैंक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No. छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

N	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155629680	3,05,17,100	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru- 560027
2			1507661155398174	1,28,31,373	
3			1507661155493725	1,98,32,304	
4			1507661156164636	2,44,05,630	
			योग	8,75,86,407	

महाप्रबंधक
प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट

REPORT-ID: IF0000

BRANCH: 03312

MAKER: 0054874

CENTRAL BANK OF INDIA

N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S

TRAN DATE: 17042025

SENDER IFSC: CBIN083312

CHECKER: 0054874

SENDER-AC-NO	AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION
3041271029	24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840555						
3041271029	30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840655						
3041271029	12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840755						
3041271029	19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00
✓ UTR CBINN62025041710840855						

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00



आपन क्रमांक / लेखा / 2025 6/5/2

बालाघाट दिनांक 11 / 04 / 2025

शाखा प्रबंधक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
शाखा-बालाघाट (म.प्र.)

विषय - M.P.Tiger Foundation Society मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत M.P.Tiger Foundation Society के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु बैंक क्रमांक 162081 दिनांक 11.04.25 राशि रु. 74,73,420.00 (चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त बैंक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No. छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

S.N o	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOCIETY	SBIN0001308	10571048460	26,22,000	State Bank Of India T.T. Nagar, Main Branch, Bhopal
2				28,13,220	
3				10,92,000	
4				9,46,200	
			योग	74,73,420	

12

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "बोदादलखा से धीरी मुरुम निर्माण कार्य" हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B के वन क्षेत्र में 16.65 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत खुर्सीटोला, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं /प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "बोदादलखा से धीरी मुरुम तक सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।



(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट



(सदस्य)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट



(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बालाघाट

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2190

Dated 8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **16.65 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Bodadalkha to Dhirri murum Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji Tah./Block Lanji, Village- Khursitola in Compartment No. 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B Total Area 16.65 Hec. in Forest land village(s) in **Lanji** tehsils.

It is further certified that:

- (ff) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **16.65 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02**.
- (gg) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent. to it;
- (hh)(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:


 (Dr. G. K. Mishra)
 Signature
 (full name and official Seal of the District Collector)
 BALAGHAT

—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बोदालखा से धीरी गुरुम मार्ग के पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B में 16.65 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महप्रबधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरुम मार्ग के पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B में 16.65 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: न्यूनतम वृक्षों की क्षति नहीं किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरुम मार्ग के पूर्व लांजी सा. परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341A, 341B में 16.65 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में 277 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आवेदक विभाग न्यूनतम वृक्षों की कटाई के लिए वचनबद्ध है। सड़क निर्माण के दौरान प्रभावित वृक्षों के अतिरिक्त कोई भी वृक्ष नहीं काटे जावेंगे। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट